



विभाग

पत्रावली संख्या

## टीपें और आज्ञायें

अधीक्षक (प्रशा.)/कुलसचिव जी

कृपया प्रो.रमेश प्रसाद आचार्य पालि एवं धेरवाद के दिनांक 23.07.2023 के पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। पत्र द्वारा विश्वविद्यालय में नैक प्रस्तुतिकरण हेतु अधोलिखित बिन्दुवार सूचनाओं की अपेक्षा की गयी है-

| क्र.सं. | प्रश्न   | उत्तर  |
|---------|--|--|
| 1.      | Total Sanctined Posts of teacher's.                      | प्रोफेसर- 15<br>एसोसिएट प्रोफेसर-09<br>असिस्टेंट प्रोफेसर-88   |
| 2.      | Permanent teacher's serving in the year 2022-23.         | 1- प्रो. रामकिशोर त्रिपाठी - वेदान्त विभाग<br>2- प्रो. रामपूजन पाण्डेय - न्याय वैशेषिक विभाग<br>3- प्रो. प्रेमनारायण सिंह - शिक्षाशास्त्र विभाग (संस्कृत शिक्षण) (अवकाश)<br>4- प्रो. हरिशंकर पाण्डेय - प्राकृत एवं जैनागम<br>5- प्रो. जितेन्द्र कुमार - विज्ञान विभाग<br>6- प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल - तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग (अवकाश)<br>7- प्रो. हरिप्रसाद अधिकारी - तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग<br>8- प्रो. सुधाकर मिश्र - वेदान्त विभाग (वल्लभ वेदान्त)<br>9- प्रो. हीरक कान्ति चक्रवर्ती - ग्रन्थालय विज्ञान विभाग<br>10- प्रो. (श्रीमती) विधु द्विवेदी - विज्ञान विभाग (गृहविज्ञान)<br>11- प्रो. रमेश प्रसाद - पालि विभाग<br>12- प्रो. शैलेश कुमार मिश्र - सामाजिक विज्ञान विभाग (राजशास्त्र)<br>13- प्रो. राजनाथ - सामाजिक विज्ञान विभाग (अर्थशास्त्र)<br>14- प्रो. शम्भुनाथ शुक्ल - वेदान्त विभाग (रामानन्द वेदान्त)<br>15- प्रो. महेन्द्र पाण्डेय - वेद विभाग (शुक्ल यजुर्वेद)<br>16- प्रो. कमलाकान्त त्रिपाठी - पूर्व मीमांसा विभाग<br>17- प्रो. ललित कुमार चौबे - सांख्ययोग तन्त्रागम विभाग (सांख्ययोग)<br>18- प्रो. राघवेन्द्रजी दुबे - सांख्ययोग तन्त्रागम विभाग (योगतन्त्र)<br>19- डा. विजय कुमार पाण्डेय - साहित्य विभाग<br>20- डा. दिनेश कुमार गर्ग - प्राचीन राजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र विभाग<br>21- प्रो. अमित कुमार शुक्ल - ज्योतिष विभाग<br>22- श्रीमती विद्या कुमारी चन्द्रा - आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग (हिन्दी)<br>23- श्री लाल जी मिश्र - शारीरिक शिक्षा <small>संशोधन 01.01.2023(संशोधन 30.06.2023)</small><br>24- सुश्री विशाखा शुक्ला - शिक्षाशास्त्र विभाग<br>25- डा. रविशंकर पाण्डेय - संस्कृत विद्या विभाग<br>26- डा. विजय कुमार शर्मा - सामवेद<br>27- डा. सत्येन्द्र कुमार यादव - अर्थवेद<br>28- डा. कुंज बिहारी द्विवेदी - न्याय वैशेषिक<br>29- डा. दुर्गेश पाठक - न्याय वैशेषिक<br>30- डा. ज्ञानेन्द्र सापकोटा - नव्य व्याकरण<br>31- डा. दिव्य चेतन ब्रह्मचारी - नव्य व्याकरण<br>32- डा. विजेन्द्र कुमार आर्य - नव्य व्याकरण<br>33- डा. कुप्पा श्री गुरु बिलवेशः - प्राचीन व्याकरण<br>34- डा. नितिन आर्य - प्राचीन व्याकरण<br>35- डा. राजा पाठक - ज्योतिष<br>36- डा. मधुसूदन मिश्र - ज्योतिष फलित |
| 3.      | Gust teachers (List) during the year 2018-19 to 2022-23. | बिन्दु सं.-3 के संबंध में कृपया सम्बन्धित पटल को सन्दर्भित करने का कष्ट करें।  |

श्री प्रदीप वाक्य  
क.  
२६/७/२३  
मज  
०.५

२३/७/२३

२३/७/२३



# आत्मानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

आ.सं. 2201/23

दिनांक: 03.05.2023

## कार्यालय-ज्ञाप

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अभ्ययन-अध्यापन की गतिविधि का दृष्टि में रखते हुये अधोलिखित विद्वानों को जिनके नाम के सम्मुख अंकित विभागों में अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिए मशरूफ अधिकारी द्वारा विज्ञापित पदों के चयन के पूर्व या 30 जून, 2023 तक जो पहलें हो के लिए स्वीकृति प्रदान की है -


| क्र.सं. | विभाग का नाम   | वर्ग  | अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित विद्वान  |
|---------|--|---|--|
| 1       | आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग के अन्तर्गत भाषा विज्ञान (ग्रीक, लैटिन) | अन्य फिलॉजॉफी वर्ग  | श्री माहम्मद यामिन   |
| 2       | व्यक्ति (खगोलशास्त्र एस्ट्रोनॉमी)  | सामान्य वर्ग  | श्री मधुसूदन तिवारी  |
| 3       | सुलतानपुर शर्म दर्शन -साय वैज्ञानिक विभाग                                  | अन्य फिलॉजॉफी वर्ग<br>अनुसूचित जाति सम्मर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण | डा० चन्द्रकला<br>डा० शिवराम गंगोपाध्याय (सामान्य वर्ग)<br>मन्वानिवृत्त अध्यापक |
| 4       | शक्ति एवं श्रवण (पालि विषय) प्रयोजनकार्य                                   | अनुसूचित जाति सामान्य वर्ग  | श्री विशदत्त<br>हेमलता (सामान्य वर्ग)  |
| 5       | विज्ञान विभाग  | आर्थिक रूप में कमजोर सम्मर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण                | डा० रूपम पाठक (सामान्य वर्ग)   |
| 6       | वेदान्त विभाग (शांकर वेदान्त)  | अनुसूचित जाति सम्मर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण                       | डा० रौलेन्द्र कुमार त्रिपाठी (सामान्य वर्ग)                                    |
| 7       | समानुत्र वेदान्त   | अनुसूचित जाति सम्मर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण                       | श्री अनन्त कुमार पाण्डेय (सामान्य वर्ग)  |
| 8       | पानीन व्याकरण  | अनुसूचित जाति सम्मर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण                       | डा० श्यामाकान्त तिवारी (सामान्य वर्ग)  |
| 9       | नव्य व्याकरण   | सामान्य वर्ग  | श्री नवनीत कुमारी तिवारी   |
| 10      | नव्य व्याकरण   | अति फिलॉजॉफी वर्ग   | श्री आत्मानन्द मारवाती   |
| 11      | नव्य व्याकरण   | अनुसूचित जाति सम्मर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण                       | श्री रविप्रकाश पाण्डेय (सामान्य वर्ग)  |
| 12      | शिक्षाशास्त्र विभाग  | अति फिलॉजॉफी वर्ग   | श्री जयप्रकाश  |
| 13      | शिक्षाशास्त्र विभाग  | अति फिलॉजॉफी वर्ग   | मुष्णा यादव  |

|    |   |  |                                       |
|----|---|--|---------------------------------------|
| 16 | शिक्षाशास्त्र विभाग                                       | आर्थिक रूप से कमजोर  | श्री मनु मिश्र                        |
| 17 | ग्रंथालय विज्ञान विभाग                                    | सामान्य वर्ग   | श्री निधीश त्रिपाठी                   |
| 18 | सांख्ययोग तन्त्रागम विभाग<br>(शैवागम विषय)                | सामान्य वर्ग   | श्री विवेक कुमार उपाध्याय             |
| 19 | आगम   | आर्थिक रूप से कमजोर  | डा० चन्द्रशेखर मिह                    |
| 20 | योगतन्त्र   | सामान्य वर्ग   | आनन्दि लक्षणागम शास्त्री              |
| 21 | सांसात्विक विज्ञान विभाग के<br>अन्तर्गत पानीन इतिहास विषय | आर्थिक रूप से कमजोर  | श्री विपिन चन्द मिह                   |
| 22 | पानीन इतिहास पुस्तक<br>(इपीग्राफी)                        | अनुमूचित जाति  | श्री मूर्धकान्तामणि                   |
| 23 | साहित्य विभाग (साहित्य विषय)                              | अन्य पिछड़ा वर्ग   | श्री दशेन्द्र कुमार यादव              |
| 24 | साहित्य विभाग (साहित्य विषय)                              | अनुमूचित जाति मध्याम के<br>अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के<br>कारण | डा० श्रीभाष्यम पाण्डेय (सामान्य वर्ग) |

अतिथि व्याख्यान हेतु उपरोक्त विद्वानों के पैनल में से आवश्यकतानुसार सत्र 2022-23 के लिये 15000/- (चार सौ) प्रति व्याख्यान जो प्रति माह 15000/- (पन्द्रह हजार) से अधिक न हो के मानदेय पर अतिथि व्याख्या के रूप में आमंत्रित किया जाता है। अतिथि व्याख्याता ग्यायी हेतु दावा नहीं कर सकते हैं। कभी भी वे पैनल से हटाया जा सकता है। उक्त चयनित अभ्यर्थी इस आशय का प्रथम-पत्र अध्याह्वानकारी को प्रस्तुत करेंगे।

अतिथि व्याख्याताओं के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रति माह के मानदेय फॉर्म (बिल) विभागाध्यक्ष को तत्काल सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

यु पर आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त है।

  
कुलसचिव

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अवर मुख्य सचिव, भा० कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. अवर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

3. सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

4. अवर सहाय्याध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को इस आशय से कि अपने विभाग से सम्बन्धित विद्वानों को आवश्यकतानुसार आमंत्रित करें, अध्ययन अध्यापन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

5. प्रिन्सिपल

6. सम्बन्धित अतिथि व्याख्यातागण।

7. सहायक कुलसचिव (प्रशासन)।

8. आचार्याधीपक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।

9. अधीक्षक, (प्रशासन/लेखा)।

10. जनसम्पर्क अधिकारी।

11. एबद्ध पत्रावली।

कुलसचिव



# सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

सं. 2347/2023

दिनांक : 01.03.2023

## कार्यालय-ज्ञाप

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अध्ययन-अध्यापन की सुविधा को दृष्टि में रखते हुये अधोलिखित विद्वानों को उनके नाम के सम्मुख अंकित विभागों में अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिए राक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित पदों के चयन के पूर्व या 31 मई, 2023 तक जो पहले हो के लिए स्वीकृति प्रदान की है -

| क्र.सं. | विभाग का नाम                                | वर्ग             | अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित विद्वान |
|---------|---|------------------|---------------------------------------|
| 01      | वेद विभाग                                   | अनारक्षित        | श्री अनन्तेश कुमार मिश्र ✓            |
| 02      | धर्मशास्त्र विभाग                           | अन्य पिछड़ा वर्ग | डॉ. जगदीश्वर प्रसाद मिश्र ✓           |
| 03      | साहित्य विभाग                               | अनारक्षित        | डॉ. बालेश्वर झा ✓                     |
| 04      | साहित्य विभाग                               | अन्य पिछड़ा वर्ग | सुश्री भागमती यादव ✓                  |
| 05      | साहित्य विभाग (संगीत विभाग- गायन)           | अनारक्षित        | डॉ. शुभ साक्षर व्याख्यान ✓            |
| 06      | साहित्य विभाग (संगीत विभाग- सितार)          | अनारक्षित        | डॉ. शैल पाण्डेय ✓                     |
| 07      | साहित्य विभाग (संगीत विभाग- तबला)           | अनुसूचित जाति    | श्री प्रशान्त कुमार ✓                 |
| 08      | पुराणतिहास विभाग                            | अनारक्षित        | सुश्री अर्पिता मिश्रा ✓               |
| 09      | पुराणतिहास विभाग                            | अन्य पिछड़ा वर्ग | सुश्री श्रद्धा ✓                      |
| 10      | प्राचीन राजशास्त्र अर्थशास्त्र विभाग        | अनारक्षित        | श्री अखिलेश कुमार ✓                   |
| 11      | शिक्षाशास्त्र विभाग                         | अनुसूचित जाति    | डॉ. रम्यप्रकाश सोनवार ✓               |
| 12      | शिक्षाशास्त्र विभाग                         | अनुसूचित जाति    | श्री अरविन्द कुमार चौधरी 03           |
| 13      | शिक्षाशास्त्र विभाग                         | अन्य पिछड़ा वर्ग | डॉ. कृष्ण कुमार ✓                     |
| 14      | सालि विभाग                                  | अनारक्षित        | डॉ. राजेश कुमार श्रीवास्तव ✓          |
| 15      | सैन दर्शन विभाग                             | अनुसूचित जाति    | श्री श्रवण कुमार ✓                    |
| 16      | संस्कृत विद्या विभाग                        | अनारक्षित        | डॉ. देवात्मा दुब ✓                    |
| 17      | संस्कृत विद्या विभाग                        | अन्य पिछड़ा वर्ग | डॉ. शिल्पी गुप्ता ✓                   |
| 18      | संस्कृत विद्या विभाग                        | अनुसूचित जाति    | डॉ. जसवीर आर्य ✓                      |
| 19      | आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग (फ्रेंच) | अनारक्षित        | डॉ. अनिल कुमार चतुर्वेदी ✓            |
| 20      | आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग (हिन्दी) | अनारक्षित        | सुश्री पूजा यादव ✓                    |

अतिथि व्याख्यान हेतु उपरोक्त विद्वानों के पैनल में से आवश्यकतानुसार सत्र 2022-23 के लिए 100/- (चार सौ) प्रति व्याख्यान जो प्रति माह ₹ 15000/- (पन्द्रह हजार) से अधिक न हो के मान्यता के रूप में आमंत्रित किया जाता है। अतिथि व्याख्याता स्थायी हेतु दावा नहीं कर सकते हैं। चयन के हटाना जा सकता है। उक्त चयनित अभ्यर्थी दृग आशय का समय-पत्र अधोलिखित पते पर भेजना के हटाया जा सकता है।



# पूरुणानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

क्र.सं. 5346/2023

दिनांक : 08.04.2023

## कार्यालय-ज्ञाप

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अध्ययन-अध्यापन की सुविधा को दृष्टि में रखते हुये अधोलिखित विद्वानों को उनके नाम के सम्मुख अंकित विभागों में अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा विज्ञापित पदों के चयन के पूर्व या 31 मई, 2023 तक जो पहले हो के लिए स्वीकृति प्रदान की है -

| क्र.सं. | विभाग का नाम                                      | वर्ग            | अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित विद्वान |
|---------|---|-----------------|---------------------------------------|
| 01      | आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग (अंग्रेजी)     | अनारक्षित       | श्री शैलेश प्रताप सिंह                |
| 02      | आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग (अंग्रेजी)     | अति पिछड़ा वर्ग | श्री आशुतोष प्रताप                    |
| 03      | आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग (जर्मन)        | अनारक्षित       | श्री राजेश कुमार जयसवाल               |
| 04      | आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग (नेपाली)       | अनारक्षित       | डा. अमित थापा                         |
| 05      | आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग (तिब्बती)      | अनारक्षित       | श्री पशांग डोलकर प्रताप               |
| 06      | आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग (भाषा विज्ञान) | अनुमूचित जाति   | डा. मोहन कुमार                        |

अतिथि व्याख्यान हेतु उपरोक्त विद्वानों के पैनल में से आवश्यकतानुसार सत्र 2022-23 के लिये ₹ 400/- (चार सौ) प्रति व्याख्यान जो प्रति माह ₹ 15000/- (पन्द्रह हजार) से अधिक न हो के मानदेय पर अतिथि व्याख्याता के रूप में आमंत्रित किया जाता है। अतिथि व्याख्याता स्थायी हेतु दावा नहीं कर सकते हैं। कभी भी बिना सूचना के हटाया जा सकता है। उक्त चयनित अभ्यर्थी इस आशय का शपथ-पत्र अध्यापनाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

अतिथि व्याख्याताओं के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रति माह के मानदेय प्राप्यक (बिल) विभागध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

इस पर आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त है।

2023-24-23  
कुलसचिव

प्रतिनिधि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग को इस आशय में कि अपने विभाग में सम्बन्धित विद्वानों को आवश्यकतानुसार आमंत्रित कर, अध्ययन अध्यापन सुनिश्चित कराने का कार्य करें।
3. परीक्षा नियंत्रक
4. सम्बन्धित अतिथि व्याख्यातागण।
5. महायक, कुलसचिव (प्रशासन)।
6. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
7. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)।
8. जनसम्पर्क अधिकारी।
9. सम्बद्ध इकायें।

कुलसचिव



# संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

सं. 2815/2023

दिनांक : 10-05-2023

## कार्यालय-ज्ञाप

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अध्ययन-अध्यापन की सुविधा को दृष्टि में रखते हुये अधोलिखित विद्वानों को एक नाम के सम्मुख अंकित विभाग में अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिए मशरूम अधिकारी द्वारा अधोलिखित पदों के चयन के पूर्व या 30 जून, 2023 तक जो पत्रने हो के लिए स्वीकृति प्रदान की है -

| क्र.सं. | विभाग का नाम    | वर्ग  | अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित विद्वान |
|---------|-----------------|---|---------------------------------------|
| 001     | च्योतिष-विज्ञान | आर्थिक रूप में कमजोर संतर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण | डॉ. गोपाल पांडक काण्ठद्वारा           |

अतिथि व्याख्यान हेतु उपरोक्त विद्वान के पैनल में से आवश्यकतानुसार सत्र 2022-23 के लिये 1000/- (चार सौ) प्रति व्याख्यान जो प्रति माह 15000/- (पन्द्रह हजार) से अधिक न हो के मानदेय पर अतिथि व्याख्याता के रूप में आमंत्रित किया जाता है। अतिथि व्याख्याता ग्याथी हेतु दावा नहीं कर सकते हैं। कभी भी विना सूचना के हटाया जा सकता है। उक्त चयनित अभ्यर्थी इस आशय का शपथ-पत्र अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगे।

अतिथि व्याख्याताओं के पारिश्रमिक भुगतान में सम्बन्धित प्रति माह के मानदेय प्राप्यक (वित्त) विभागाध्यक्ष को सहायक कुलपति के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

उपरोक्त पर आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त है।

28/10/23  
कुलमन्त्रि

सर्वोपरि लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को इस आशय में कि अपने विभाग में सम्बन्धित विद्वानों को आवश्यकतानुसार आमंत्रित कर, अध्ययन अध्यापन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
3. परीक्षा नियंत्रक।
4. सम्बन्धित अतिथि व्याख्यातागण।
5. महायक कुलमन्त्रि (प्रशासन)।
6. आसुतिपिक, कुलमन्त्रि/वित्त अधिकारी।
7. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)।
8. जनसम्पर्क अधिकारी।
9. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलमन्त्रि